# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 330/टीएल/2026 दिनांक : 14.10.2026

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

**पावरग्रिड मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड**, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (जिसे इसके पश्चात् "आरटीएम" कहा गया है) मोड के अधीन "मंदसौर पीएस पर आरई उत्पादन परियोजनाओं में संयोजकता प्रदान करने के लिए पारेषण योजना" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) शामिल करने हेतु पीएमटीएल को मौजूदा आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 16 के अधीन आवेदन किया गया है। उस परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | पारेषण योजना का कार्यक्षेत्र | मद का विवरण | कार्यान्वयन समय–सीमा | कुल अनुमानित लागत (रु. करोड़) |
|---|---|---|---|---|
| **क.** | **मैसर्स हैक्सा क्लाइमेट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. (2200001037) के 200 मेगावाट आरएचजीएस के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 220 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन** | | | |
| 1. | मैसर्स हैक्सा क्लाइमेट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. (2200001037) के 200 मेगावाट आरएचजीएस के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 220 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन | 220 केवी लाइन बे–1 नं. (सेक–I) | 30.06.2028 (नोट क का संदर्भ लें) | 5.73 |
| **ख.** | **मैसर्स एसपीआरएनजी ग्रीन एनर्जी 2 प्रा. लि. (2200000824) के 600 मेगावाट आरपीपी के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 400 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन** | | | |
| 2. | मैसर्स एसपीआरएनजी ग्रीन एनर्जी 2 प्रा. लि. (2200000824) के 600 मेगावाट आरपीपी के लिए मंदसौर एस/एस पर 1 नं. 400 केवी लाइन बे (बस सेक्शन–1) का कार्यान्वयन | 400 केवी लाइन बे (मौजूदा हाफ डायमीटर में) – 1 नं. | 31.12.2029 (नोट ख का संदर्भ लें) | 11.93 |
| | **कुल अनुमानित लागत:** | | | **17.66 {मई'25 कीमत स्तर पर (पीएल)}** |

**नोट:**

क. कार्यान्वयन समय–सीमा को हैक्सा क्लाइमेट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. की उसकी 200 मेगावाट आरएचजीएस (आवेदन सं. 2200001037) के लिए संयोजकता के अंतिम अनुदान हेतु सूचना के अनुसार संयोजकता की आरंभ तारीख के साथ संरेखित किया गया है।

ख. कार्यान्वयन समय–सीमा को एसपीआरएनजी ग्रीन एनर्जी 2 प्रा. लि. की उसकी 600 मेगावाट आरपीपी (आवेदन सं. 2200000824) के लिए संयोजकता के अंतिम अनुदान हेतु सूचना के अनुसार संयोजकता की आरंभ तारीख के साथ संरेखित किया गया है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 24.6.2026 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 330/टीएल/2026 में दिनांक 14.10.2026 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **22.10.2026** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **23.10.2026** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव